Paper- I

Caste Mobility जातीय गतिशीलता (Part-I) Pap

हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनोखी संस्था है जिसके आधार पर भारतीय समाज विभिन्न स्तरों में विभाजित है। यद्यपि भारतीय समाज को विदेशी लेखकों ने एक अगतिशील समाज के रूप में देखा है जैसे एफ० जी० बेली ने भारतीय समाज को जाति पर आधारित कठोर बद्ध सीमाओं में बँटा हुआ समाज माना है। सी० एच० कूले ने भी जाति को इसी रूप में देखते हुए कहा है कि जब कोई वर्ग वंशानुगत हो जाता है तो वह जाति का रूप धारण करता है पर विदेशी लेखकों के विचार पूर्णतः निराधार है। हकीकत यह है के जाति व्यवस्था में गतिशीलता हमेशा से देखने को मिलती है बौद्ध एवं जैन धर्म ने जाति व्यवस्था की जड़ पर गहरा आघात किया। मध्यकाल में भक्ति आन्दोलन के नेताओं ने भी इसके विरुद्ध शिक्षा दी। ईसाई एवं मुस्लिम धर्म ने भी जाति-पाति से ऊपर उठकर भारतीयों को एकता का नारा दिया।

20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आधुनिक कारकों के चलते जाति व्यवस्था की परम्परागत विशेषताओं में तेजी से परिवर्तन आना शुरू हुआ है। एम० एन० श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं के माध्यम से यह विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता हमेशा से रही है। पहले जहाँ यह प्रक्रिया धीमी थी वहीं अब यह तेज हो रही है। श्रीनिवास का कहना है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी हम पाते हैं कि संस्कृतिकरण के द्वारा जातियों की पदस्थिति परिवर्तित होते रहे हैं। राजा या ब्राह्मण को यह अधिकार था कि किसी भी जाति की जातीय पदस्थिति को उच्च या निम्न कर दे। इतना ही नहीं शिवाजी उदाहरण हैं जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि राज्याभिषेक के समय उन्हें क्षत्रीय घोषित किया गया। वर्तमान काल में भी देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की कई जातियों ने संस्कृतिकरण के द्वारा अपनी जातीय पदस्थिति को उच्च बनाये हैं जिनमें कायस्थ, नोनिया, अहीर, कुनबी आदि प्रमुख हैं। श्रीनिवास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाने मात्र से ही उच्च जातीय पदस्थिति प्राप्त नहीं हो जाती जैसे तमिल क्षेत्र में सोनार अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण घोषित करते रहे हैं पर उन्हें यह पदस्थिति आज तक नहीं प्राप्त हो सका है। स्पष्टतः इनका कहना है कि जाति में

5) गतिशीलता को संस्कृतिकरण के मॉडल द्वा समझाया जा सकता है और इसमें पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण को सहयोग ही दिया है कहीं भी बाधा उपस्थित नहीं की है। लेकिन वी० के आर० वी० राव, योगेन्द्र सिंह, के० एल० शर्मा का कहना है कि संस्कृतिकरण के मॉडल के आधार पर अब जातीय गतिशीलता की व्याख्या नहीं की जा सकती है क्योंकि यह प्रक्रिया अब इस देश में ठप हो चुकी है। राव का कहना है कि मध्यम एवं निम्न जातियों को आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक सुविधाएँ मिली हैं उन्हें अब वह खोना नहीं चाहते और इस तरह वे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा अपनी जातीय पदस्थिति उच्च नहीं करना चाहते बल्कि उसे यथावत बनाये रखना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि अब कई निम्न जातियाँ इस बात के लिए आन्दोलन कर रही है कि उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया जाये। बिहार में लोहार जाति इसका उदाहरण है जिन्होंने आन्दोलन की और फलस्वरूप उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया।

वाई० बी० दामले एवं एम० एडम ~~[illegible]~~ लीच आदि विद्वानों का कहना है कि जातीय गतिशीलता को संस्कृतिकरण के प्रारूप पर अब नहीं समझा जा सकता है बल्कि इसे संदर्भ समूह प्रारूप (Reference group Model) के आधार पर समझना चाहिए। इनके अनुसार कोई भी निम्न जाति अपने से ऊपर के किसी भी जाति के जीवन दर्शन या जीवन मूल्य को अपनाकर नहीं उठना चाहती बल्कि उनके लिए जो धनात्मक संदर्भ समूह होता है उसी के आधार पर वे उस जाति के जीवन दर्शन एवं जीवन मूल्य को अपनाकर जातीय संस्तरण में ऊपर उठना चाहती हैं

उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि जाति की गतिशीलता को समझाने के लिए भारतीय समाजशास्त्रियों ने दो प्रारूपों (Models) की चर्चा की है - संस्कृतिकरण मॉडल एवं संदर्भ समूह मॉडल। पर आज सच्चाई यह है कि ये दोनों मॉडल कार्य करते दिखाई नहीं दे रहे हैं बल्कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से भारतीय समाज में चल रही है और लोग अपनी जातीय हैसियत को बनाये रखते हुए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गये हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जातीय व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज न तो कभी बन्द था और न आज बन्द है। परम्परागत समाज में यह प्रक्रिया धीमी थी, तो इन आधुनिक कारकों के प्रभाव के चलते अब जातीय गतिशीलता तेज हो गयी है। जाति अपनी परम्परागत विशेषताओं को खो रही है पर मध्यम एवं निम्न जाति के लोग अपनी जातीय पहचान बनाये रखते हुये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में संलग्न हैं।